पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.97/2024

RBE No.57/2024

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/2/2024 (Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः-Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968- Choice of retired Railway servant as Defence Helper- Condition regarding.

संदर्भः-Railway Board's letter No.-E(D&A)2019 RG6-1, Dated-16.07.2024.

******

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by
Manoj Kumar Choudhary
Date: 18-09-2024 13:11:02

(एम.के.चौधरी)
सकाधि/ई.एस.एम.
कृतें महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी. एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 57/2024

No. E(D&A) 2019 RG6-1 Date: 16 .07.2024

The General Manager,
All Zonal Railways and Production Units etc.
(As per standard list)

Sub: Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 – Choice of retired Railway servant as Defence Helper – Conditions regarding

.....

In terms of Rule 9(13)(b) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, a Railway servant involved in a disciplinary proceedings may present his case with the assistance of a retired Railway servant subject to such conditions as may be specified by the President from time to time by general or special order in this behalf.

2. Pursuant to the above provisions, such conditions were laid down vide instructions contained in letter No. E(D&A) 92 RG6-148 dated 5.11.1992 read with letter No. E(D&A) 2002 RG6-13 dated 14.5.2003.

3. In supersession of all such instructions, it has now been decided, with the approval of the President, that a Railway Servant may present his case with the assistance of a retired Railway Servant, subject to satisfaction of the following conditions:-

(i) The person whose assistance has been sought by the charged Railway Servant should have retired from a railway service, irrespective of the Railway Administration from which he has retired;

(ii) If the retired Railway servant is also a legal practitioner, the restrictions on engaging a legal practitioner by a delinquent Railway servant to present the case on his behalf, contained in rule 9 (13) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 would apply;

---|—

(iii) The retired Railway servant concerned should not have, in any manner, been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity; and

(iv) The retired Railway servant concerned should not act as a defence helper in more than seven cases at a time. Such a retired Railway servant should satisfy the inquiring authority that he does not have more than seven cases at hand including the case in question.

4. Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Director/Estt.(D&A)
Railway Board

Copy forwarded for information:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).
3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C Ferozshah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
6. The Secretary, RBSS 'Group A Officers' Association', Rail Bhavan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS 'Group B Officers' Association.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
9. The Secretary, Railway Board Group D Employees Association.
10. The Secretary, RBSSS Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

For Principal Executive Director (IR), Railway Board

No. E(D&A) 2019 RG6-1 New Delhi, dated: 16 .07.2024

Copy forwarded for Information to:

1. The DAI (Railways), New Delhi (with 40 copies).

2 The Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, New Delhi.
3. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No. 2032
4. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
5. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber Bhavan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.

(Harish Chander)
Director/Estt. (D&A)
Railway Board

Copy to:

PS/MR, PS/MoSR PSO/PPSs to CRB & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), DG(HR), DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), Secretary, PED(Vig.), PED(IR), EO, JS, JS(G), JS/E, ED/E, EDE(Res), Dir(D&A), Dir E(O)-I, Dir.(RPF), US(DAR), US/ERB-V, V-I, ERB-I, ERB-VI, ERB-V, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)-I, E(SCT)-II, E(O)-I and E(O)I CC branches in Board's Office.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 57/2024
सं.ई(डीएंडए) 2019 आरजी6-1 दिनांक 16.07.2024

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 - रक्षा सहायक के रूप में सेवानिवृत्त रेल सेवकों का विकल्प - शर्तों संबंधी।

रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9(13)(ख) के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई में शामिल रेल सेवक, सेवानिवृत्त रेल सेवक की सहायता से अपना मामला उन शर्तों के अध्यधीन प्रस्तुत कर सकता है जो समय-समय पर राष्ट्रपति दवारा इस विषय पर साधारण अथवा विशेष आदेशों दवारा विनिर्दिष्ट की गयी हो।

2. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, ऐसी शर्तें दिनांक 14.5.2003 के पत्र सं. ई(डी एंड ए) 2002 आरजी6-13 के साथ पठित दिनांक 5.11.1992 के पत्र सं. ई(डी एंड ए) 92 आरजी6-148 में समाविष्ट अनुदेशों के तहत निर्धारित की गई थी।

3. उन सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ, अब यह विनिश्चय किया गया है कि रेल सेवक अपना मामला सेवानिवृत्त रेल सेवक की सहायता से, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, प्रस्तुत कर सकता है :-

(i) आरोपित रेल सेवक दवारा जिस व्यक्ति की सहायता मांगी गई है वह रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो, चाहे वह किसी भी रेल प्रशासन से सेवानिवृत्त हुआ हो;
(ii) यदि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एक विधि व्यवसायी भी है, तब आरोपित रेल सेवक दवारा अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए विधि व्यवसायी

...1

को नियुक्त करने हेतु रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9(13) में समाविष्ट प्रतिबंध लागू होंगे;

(iii) संबंधित सेवानिवृत्त रेल सेवक मामले में किसी भी प्रकार से, चाहे वह जांच स्तर पर हो या अन्यथा उनकी आधिकारिक क्षमता के अन्तर्गत हो, संबंदध नहीं होना चाहिए; और

(iv) संबंधित सेवानिवृत्त रेल सेवक को एक समय पर 7 (सात) से ज्यादा मामलों में रक्षा सहायक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा सेवानिवृत्त रेल सेवक जांच प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि उसके पास वर्तमान मामले सहित 7 (सात) से अधिक मामले नहीं है।

4. कृपया पावती दें।

(हरीश चंद्र)
निदेशक/स्थापना (अनुशासन और अपील)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव फ्रोआ, रेल भवन, नई दिल्ली (6) अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव इरपोफ, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए आफिसर्स' एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी आफिसर्स' एसोसिएशन
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लाईज एसोसिएशन
10. सचिव, आरबीएसएसएस, आफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली
11. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली

...../-

12. महासचिव, आल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाईज एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली

नवीन

कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक (औ. सं.), रेलवे बोर्ड

सं. ई(डी एंड ए) 2019 आर जी 6-1 नई दिल्ली, दिनांक 16 .07.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. डीएआई (रेले), नई दिल्ली (40) प्रतियों सहित)
2. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, नई दिल्ली 110006, पोस्ट बॉक्स नं. 2032
4. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, इंडियन रेलवेज (वर्कशॉप प्रोजेक्टस) चेम्बर भवन, जज कोर्ट रोड, अंटा घाट, पटना-800001, बिहार

(हरीश चंद्र)
निदेशक/स्थापना (अनुशासन और अपील)
रेलवे बोर्ड